न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
17/2008	05.02.2008	08.4.2026

1. नवलसिंह पुत्र रामहेत, गुर्जर, निवासी उघाडमल बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी

2. प्रहलाद पुत्र रामहेत, गुर्जर, निवासी उघाडमल बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी (मृतक)

2/1.गोपाल पुत्र स्व0 प्रहलाद, गुर्जर नि0 उघाडमल बालाजी, गंगापुर सिटी

2/2.गंगासहाय पुत्र स्व0 प्रहलाद, गुर्जर नि0 उघाडमल बालाजी, गंगापुर

2/3.शिवचरण स्व0 प्रहलाद, गुर्जर नि0 उघाडमल बालाजी, गंगापुर सिटी

2/4.नर्वदा पत्नि स्व0 प्रहलाद, गुर्जर नि0 उघाडमल बालाजी, गंगापुर सिटी

2/5.कौशल्या पुत्री स्व0 प्रहलाद, गुर्जर नि0 उघाडमल बालाजी, गंगापुर

2/6.राजन्ती पुत्री स्व0 प्रहलाद, गुर्जर नि0 उघाडमल बालाजी, गंगापुर सिटी

3. केदार पुत्र रामहेत, गुर्जर, निवासी उघाडमल बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी

4. गिर्राज पुत्र रामहेत, गुर्जर, निवासी उघाडमल बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी

5. चिंरजी पुत्र रामहेत, गुर्जर, निवासी उघाडमल बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी

6. भौरीबाई बेबा रामहेत, गुर्जर, निवासी उघाडमल बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी (मृतक— नाम हजफ) ——वादीगण

बनाम

1. झबलू पुत्र भौरया, माली निवासी उघाडमल बालाजी, चूली गंगापुर सिटी

2. कैलाश पुत्र भौरया, माली निवासी उघाडमल बालाजी, चूली गंगापुर सिटी

3. प्रहलाद पुत्र भौरया, माली निवासी उघाडमल बालाजी, चूली गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

4. कम्पूरी बेबा भौरया, माली निवासी उघाडमल बालाजी, चूली गंगापुर सिटी
5. मूलचंद पुत्र देवहंस, गुर्जर निवासी हिगोंटिया तह0 गंगापुर सिटी
6. श्रीमती मंजू पत्नी नरेन्द्र, ब्राह्मण निवासी नरसिंह कॉलोनी, गंगापुर सिटी
7. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि साबिक ख0न0 124 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा, 123 रकबा 2 बिस्वा, 81 रकबा 4 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 12 विस्वा ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। वादीगण बुजुर्गान के समय से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का उक्त भूमि से कभी कोई सम्बन्ध नही रहा है। भूमि साबिक ख0न0 124, 123, 81 का साबिक राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता व वादिया नम्बर 6 के पति रामहेत पुत्र बजरंगा के नाम दर्ज रहा है। साबिक ख0न0 123 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा से हॉल भू—प्रबन्ध के दौरान नवीन ख0न0 18 रकबा 2.52 है0 कायम किया गया है तथा अवैध तरीके से प्रतिवादीगण 1 ता 4 से साज कर वादीगण के साबिक रकबे को कम कर हाल ख0न0 18/2134 मे शामिल करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी मे दर्ज कर दिया तथा नक्शा ट्रेस भी गलत बनाया है। साबिक ख0न0 81 रकबा 4 बिस्वा के नवीन ख0न0 22 रकबा 4 एयर व ख0न0 23 रकबा 10 एयर बनाया गया है जो गलत है। इस प्रकार नक्शा ट्रेस में वादीगण की भूमि के रकबे को बिना किसी अधिकार [illegible] से ख0न0 18/2134 रकबका 12 एयर बनाकर गलत तरीके से [illegible]वादीगण नम्बर 1 ता 4 की खातेदारी में दर्ज कर दिया तथा हाल नक्शा ट्रेस में गलत तरीके से रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

कम कर दिया। इस प्रकार वादीगण की खातेदारी का नक्शा कम रकबा का बनाया है। साबिक खसरा नम्बर 124 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा का नवीन ख0न0 18 रकबा रकबा 2.52 है0 दर्ज किया है तथा साबिक ख0न0 123 रकबा 2 बिस्वा का नवीन नम्बर 17 बनाकर 1 एयर रकबा दर्ज किया है जो साबिक के मुकाबले दोनो नम्बरों का 7 एयर रकबा कम दर्ज किया है तथा साबिक ख0न0 81 रकबा 4 बिस्वा के नवीन ख0न0 22 रकबा 4 एयर ख0न0 23 रकबा 10 एयर बना गलत तरीके से 9 एयर भूमि ज्यादा दर्ज कर दी है जबकि मोके पर वादीगण की भूमि ख0न0 23 व 22 दोनो ही 5 एयर रकबे में बने हुए है। नक्शा ट्रेस की नाप करने पर भी करीब 5 एयर का ही रकबा बनाता है। इस प्रकार सेटिलमेन्ट विभाग ने गलत तरीके से जमाबंदी में ख0नं0 22 व 23 का रकबा ज्यादा दर्ज कर दिया और गलत तरीके से वादीगण की खातेदारी में साबिक ख0न0 124, 123, 81 से बने हाल ख0न0 17, 18, 22, 23 का कुल रकबा 2.67 है0 तो दर्ज किया परन्तु हाल नक्शा ट्रेस गलत बनाते हुए वादीगण के साबिक ख0न0 124 से बने हाल ख0न0 18/2134 रकबा 12 एयर को बिना किसी अधिकार के प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किया गया गलत इन्द्राज एवइनीशियो नल एण्ड बोईड होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा वादीगण को भूमि हाल ख0न0 18/2134 रकबा 12 एयर का काबिज खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज की आड में वादीगण की भूमि पर कब्जा कर वादीगण को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अवैध तरीके से वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि साबिक ख0न0 124 से बने हाल ख0न0 18/2134 को उक्त गलत इन्द्राज की आड में दिनांक 5.12.2006 को प्रतिवादी संख्या 5 के नाम गलत तरीके से विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दिनांक 18.11.07

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज.)

को विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। उक्त विक्रय पत्र वादीण्गा के विरूद्ध शून्य व प्रभावहीन तथा बेअसर होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादिया नम्बर 6 के नाम दर्ज प्रविष्टि निरस्त होने योग्य है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 124 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा से बने हाल ख0न0 18/2134 रकबा 12 एयर ग्राम चूली तह0 गंगापुर सिटी का वादीगण को काबिज खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 18.11.07 एवं दिनांक 5.12.06 को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा प्रतिवादिया संख्या 6 के नाम दर्ज भूमि का राजस्व रिकॉर्ड से इन्द्राज हजफ किया जावे तथा साबिक नक्शा ट्रेस के मुताबिक हाल नक्शा ट्रेस में व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावें। साबिक ख0न0 81 रकबा 4 एयर से बने हाल ख0न0 22 रकबा 4 एयर, ख0न0 23 रकबा 10 एयर का रकबा वादीगण के नाम से कम किया जाकर ख0न0 22 का रबका 1 एयर व ख0न0 23 का 4 एयर रकबा दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उपरोक्त भूमि में वादीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि वादीगण के एकीकरण ख0नं0 124 रकबा 10 बीघा 6 विस्वा व ख0नं0 81 का रकबा 4 विस्वा दर्ज था जिसके वर्तमान सेटलमेंट में ख0नं0 18 रकबा 2.52 है0, ख0नं0 22 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 [illegible] र[illegible]बा 0.10 है0 कायम किए हैं। इस प्रकार साबिक की तुलना में वादीगण को 0.04 है0 रकबा अधिक दर्ज होकर आया है। यदि वादीगण के रकबे में हाल ख0नं0 18/2134

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

रकबा 12 एयर और मिला दिया जाता है तो वादीगण का 16 एयर रकबा अधिक हो जाता है जबकि किसी भी अदालत को साबिक रकबे की तुलना में अधिक रकबा दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं होता है। वादीगण ने अपने दावे में यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया है कि साबिक ख0नं0 81 का जो 9 एयर रकबा वर्तमान सेटिलमेंट में जो अधिक दर्ज किया है वह कहां से अधिक दर्ज किया है। अदालत हाजा द्वारा हाल ख0नं0 22 व 23 के रकबे को जमाबंदी में से कम किया जाता है तो गांव की पूरी देह का रकबा कम करना पडेगा तथा गांव के पूरी देह के रकबे को कम करने का अदालत को कोई अधिकार नहीं है। इस बिना पर वादीगण का दावा खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई–

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 124 रकबा 10 बीघा 6 विस्वा, ख0नं0 123 रकबा 2 विस्वा, ख0नं0 81 रकबा 4 विस्वा ग्राम चूली वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसका भू–प्रबन्ध में नवीन नम्बर 18 रकबा 2.52 है0 कायम किया गया है। ––वादीगण

2. आया वादीगण को साबिक रकबे से कम रकबा दिया गया है एवं वादीगण का यह रकबा ख0नं0 18/2134 में शामिल करते हुए प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के नाम दर्ज कर दिया गया है एवं इस गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 ता 4 ने प्रतिवादी नं0 5 को दि0 5.12.06 को तथा प्रतिवादी नं0 5 ने प्रतिवादी नं0 6 को दि0 18.11.07 को भूमि का विक्रय कर दिया है जो वादीगण के विरूद्ध शुन्य व प्रभावहीन व बेअसर है। ––वादीगण

3. आया वादीगण ख0नं0 18/2134 रकबा 12 एयर ग्राम चूली की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने, विक्रय पत्र दिनांक 18.11.07 व 5.12.06 को शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवाने, साबिक ख0नं0 81 से बने हाल ख0नं0 22 रकबा 4 एयर व ख0नं0 23 रकबा 10 एयर को वादीगण के नाम से कम

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

किया जाकर ख0नं0 22 का रकबा 1 एयर व ख0नं0 23 का रकबा 4 एयर दर्ज करवाने, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ——वादीगण

4. आया वादीगण के नाम साबिक ख0नं0 124 रकबा 10 बीघा 6 विस्वा, ख0नं0 81 रकबा 4 विस्वा था जिसके बदले में वादीगण को ख0नं0 18 रकबा 2.52 है0, ख0नं0 22 रकबा 4 एयर, ख0नं0 23 रकबा 10 एयर मिला है जो साबिक रकबे से 4 एयर अधिक है एवं अब वादी 12 एयर रकबा और चाहता है इस प्रकार वादी अधिक रकबा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इसलिए दावा खारिज होने योग्य है। ——प्रतिवादीगण

5. अनुतोष ।

दिनांक 12.10.2022 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6 एवं इनके वकील उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 6.12.2016 प्रदर्श 1, नकल रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 13.7.2007 प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षेत्रफल हाल प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी सं0 2030 से 2033 प्रदर्श 4, नकल मिलान क्षेत्रफल हाल प्रदर्श 5, प्रदर्श 6, प्रदर्श 7, नकल जमाबंदी सं0 2030 से 2033 प्रदर्श 8, नकल जमाबंदी सं0 2062 प्रदर्श 9,10, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध प्रदर्श 11, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 12, नकल नक्शा ट्रेस सं0 2034 प्रदर्श 13, नकल नक्शा सं0 2017 प्रदर्श 14, नकल जमाबंदी सं0 2030 से 2033 प्रदर्श 15, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 प्रदर्श 16 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी नवलसिंह पी0डब्लू0 1, बयान गंगासहाय पी0डब्लू0 2, बयान रामचरण पी0डब्लू0 3 कराए हैं।

बहस विद्धान अभिभाषक वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

(8)

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। भूमि साबिक ख0न0 124 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा साबिक ख0न0 81 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 123 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा के बदले मे वादी को वर्तमान मे नवीन ख0न0 18 रकबा 2.52 है0, ख0न0 22 रकबा 4 एयर, ख0न0 23 रकबा 10 एयर कुल रकबा 2.66 है0 रकबा मिला है जो वादी के साबिक रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा से बनने वाले रकबा 2.65 है0 के बराबर है। अब वादी ख0न0 18/2134 रकबा 12 एयर की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाना चाहता है। यह खसरा नम्बर नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 120 मिन से बना है। वादीगण ने साबिक ख0न0 120 की नकल जमाबंदी प्रस्तुत नही की है। जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि पूर्व मे यह नम्बर किसकी खातेदारी मे रहा है। इस प्रकार अपूर्ण के अभाव मे वादीगण वाद डिक्री किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अभिलेख से प्रमाणित नही होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.5.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. नवलसिंह पुत्र रामहेत, गुर्जर, निवासी उघाडमल बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी

2. प्रहलाद पुत्र रामहेत, गुर्जर, निवासी उघाडमल बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी (मृतक)

2/1.गोपाल पुत्र स्व0 प्रहलाद, गुर्जर नि0 उघाडमल बालाजी, गंगापुर सिटी

2/2.गंगासहाय पुत्र स्व0 प्रहलाद, गुर्जर नि0 उघाडमल बालाजी, गंगापुर

2/3.शिवचरण स्व0 प्रहलाद, गुर्जर नि0 उघाडमल बालाजी, गंगापुर सिटी

2/4.नर्वदा पत्नि स्व0 प्रहलाद, गुर्जर नि0 उघाडमल बालाजी, गंगापुर सिटी

2/5.कौशल्या पुत्री स्व0 प्रहलाद, गुर्जर नि0 उघाडमल बालाजी, गंगापुर

2/6.राजन्ती पुत्री स्व0 प्रहलाद, गुर्जर नि0 उघाडमल बालाजी, गंगापुर सिटी

3. केदार पुत्र रामहेत, गुर्जर, निवासी उघाडमल बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी

4. गिर्राज पुत्र रामहेत, गुर्जर, निवासी उघाडमल बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी

5. चिंरजी पुत्र रामहेत, गुर्जर, निवासी उघाडमल बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी

6. भौरीबाई बेबा रामहेत, गुर्जर, निवासी उघाडमल बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी (मृतक– नाम हजफ)

——वादीगण

बनाम

1. झबलू पुत्र भौरया, माली निवासी उघाडमल बालाजी, चूली गंगापुर सिटी
2. कैलाश पुत्र भौरया, माली निवासी उघाडमल बालाजी, चूली गंगापुर सिटी
3. प्रहलाद पुत्र भौरया, माली निवासी उघाडमल बालाजी, चूली गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज.)

4. कम्पूरी बेबा भौरया, माली निवासी उघाडमल बालाजी, चूली गंगापुर सिटी
5. मूलचंद पुत्र देवहंस, गुर्जर निवासी हिगोंटिया तह0 गंगापुर सिटी
6. श्रीमती मंजू पत्नी नरेन्द्र, ब्राह्मण निवासी नरसिंह कॉलोनी, गंगापुर सिटी
7. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –17/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ..... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अभिलेख से प्रमाणित नही होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.5.2026 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)